जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दि. 25.02.11 को ग्राम पहुॅना में आयोजित जनसुनवाई एवं रात्रि चौपाल

क.स.	प्रकरण कमांक	प्रार्थीगण	परिवेदना विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण
1.	1	दादुदयाल नायक	नाम शुद्वि करने बाबत्	नामान्तरकरण संख्या 274 के तहत नाम शुद्ध कर दिया गया।
2.	2	समस्त ग्रामवासी गणेशपुरा	11,000 के.वी. विधुत लाइन हटाने के संबंध में	सहायक अभियन्ता अ.वि वि.नि.लि. ने बताया कि तकमीन राशि 30,000 जमा कराने पर ही लाइन निम्नानुसार हटायी जायेगी
3.	3	समस्त ग्रामवासी पंहूना (खाती खेड़ा)	पानी की समस्या बाबत्	सहायक पी.एच.ई.डी. ने बताया कि उक्त योजना ग्राम पंचायत द्वारा संचालित की जा रही है जिसका विधुत बिल जमा नही होने से कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा बिल की राशि जमा करा दी गई है ओर ग्राम पानी की सप्लाई की जा रही है।
4	4	ईश्वर लाल पिता मांगी लाल	पानी की ब्की हबने बाबत्	सहायक अभियन्ता पी.एच.ई.डी. ने बताया कि उक्त प्लास्टिक कि टंकी ग्राम पंचायत द्वारा लगाई गई है विडियो के आदेशनुसार टंकी (खराब) को हटा दी गई है।
5	5	समस्त ग्रामवासी पंहूना	भील बस्ती में श्मशान बनाने बाबत्	विकास अधिकारी द्वारा बी.एच.जी.एफ. के तहत प्रस्ताव तैयार कर पेश करने बाबत् ग्राम पंचायत को निर्देशित किया गया।
6.	6	समस्त ग्रामवासी पंहूना	भील बस्ती को ग्रेवल सड़क से जोड़ने बाबत्	विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत को महानरेगा योजना वर्ष 2011–12 की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कर प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए गए।
7.	7	समस्त ग्रामवासी पंहूना	उंचकिया तालाब से नहर में पानी छोड़ने के क्रम में	सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त बांध से फसलों को दो बार ही पानी की पिलाई दिए जाने हेतु कमेटी द्वारा तय किया गया था उसके अनुसार दो बार पिलाई करा दी गई। तालाब में एक फूट पानी शेष रह जाने से

				टेल के खेतों में पानी नही पहूंचाया जा सकता है।
8	8	समस्त ग्रामवासी पंहूना	ग्राम पंहूना में श्मशान भूमि का रास्ता तैयार कराने बाबत्	विकास अधिकारी द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता को मौके का निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा आवश्यक तकमिना पेश करने बाबत् निर्देशित किया गया।
11	11 एवं 15	समस्त ग्रामवासी पंहूना	ग्राम पंचायत द्वारा सफाई नहीं करवाने बाबत्	विकास अधिकारी द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को महीने में दो बार सफाई करने के निर्देश दिये गये। सचिव ने बताया कि निर्देशानुसार सफाई की जा रही है।
13	13	समस्त वार्ड वासी वार्ड नं. 4	खटीक गली में पाईप लाइन बिछाने बाबत्	सहायक अभियन्ता पी.एच.डी. ने बताया कि जहां–जहां लाईन चोक हो गई थी उसे ठीक कर सप्लाई चालू कर दी गई है
14.	14	समस्त ग्रामवासी पंहूना	ओसवाल मोहल्ले में जल आपूर्ति बाबत्	सहायक अभियन्ता पी.एच.डी. ने बताया कि ओसवाल मौहल्ला उंचाई वाले क्षेत्र में होने के कारण सप्लाई कम दबाव से होती है। उक्त मौहल्ले में एक दिन छोड़कर एक दिन से पूरे दबाव के साथ पूर्ण सप्लाई की जा रही है।
16	16	समस्त ग्रामवासी पंहूना	जन सेवा मण्डल चोराया एवं गणेशपुरा बस्ती तक अनियमित जल आपूर्ति	सहायक अभियन्ता पी.एच.डी. ने बताया कि उक्त बस्ती में भी एक दिन छोड़कर एक दिन जल आपूर्ति सूचारू रूप से की जा रही है।
17	17	कमरूद्दिन / मिठु मोहम्म्द	नरेगा में लगाये गये टेन्टो का भुगतान नही होने के क्रम में	विकास अधिकारी ने बताया कि फर्म द्वारा मुल बिल प्रमाणित कराकर कालातीत अवधि भुगतान बाबत् शपथ–पत्र के साथ बिल पेश करे ताकि शीघ्र भुगतान किया जा सकें।
18	18	प्रेमशंकर / हेमराज भील	पंहूना से कीरखेड़ा को संरक्षित जोड़ने बाबत्	सहायक अभियन्ता सा.नि.वि द्वारा प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिये गये है।
19 एवं 22	19 एवं 22	डालचन्द / राधाकिशन छिपा	मेरी आ.नं. 913 में लगी डी.पी. हटाने बाबत्	सहायक अभियन्ता अ.वि.वि.नि लि. ने बताया कि नियमानुसार तकमीन राशि 7000 / –जमा कराने पर डी.पी. हटा दी जायेगी
21.	21.	सरपंच ग्राम पंचायत उंचा	ग्राम हीराखेड़ी खसरा नं. 351 से अतिक्रमण हटाने बाबत्	तहसीलदार राशमी द्वारा दिनांक 29.04.2011 को अतिक्रमण हटा दिया गया

23.	23.	समस्त ग्रामवासी पंहूना	बनास नदी में एनीकट एवं कमकाजवे निर्माण बाबत्	खनिज अभियन्ता चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 26.02.2011 को विस्तृत रिपोर्ट जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत कर दी गई।
26.	26	समस्त ग्रामवासी पंहूना	ग्राम पंचायत पर पटवार भवन की मरम्मत बाबत्	विकास अधिकारी ने कनिष्ठ अभियन्ता को जांच प्रतिवेदन एवं आवश्यक तकमीन पेश करने हेतु निर्देश दिये गये ताकि नये पटवारघर का निर्माण करवाया जा सकें।
33	33	समस्त वार्डवासी 7 एवं 8	आंगनबाड़ी से सीधा लालपुरा रास्ता का भराव कराने हेतु	विकास अधिकारी ने सचिव ग्राम पंचायत को नरेगा कार्य के तहत कार्य करवाने हेतु निर्देशित किया गया।
35 एवं 36	35 एवं 36	गोवर्धंन लाल / बद्रीलाल सोनी एवं थानमल / केसरीमल जैन	पूर्व सरपंच रतनलाल के विरूद्व फरजी पट्टे जारी करने के विरूद्व कार्यवाही करने बाबत्	विकास अधिकारी ने बताया कि उक्त प्रकरण की जांच हेतु पत्र क्रमांक 72 दिनांक 26.04.2011 को श्रीमान अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा जांच करने बाबत् जिला परि द चित्तौड़गढ़ में पदस्थापित पंचायत प्रसार अधिकारी को लगाया गया है। जांच पूर्ण होने पर वस्तु स्थिति से श्रीमान को अवगत करवा दिया जायेगा।
37.	37	कमरूद्वीन / पीरबक्श	पैतृक पट्टा बनवाने बाबत्	विकास अधिकारी ने बताया कि ग्राम सेवक पदेन सचिव को पट्टा जारी करने बाबत् निर्देशित कर दिया गया है।
41.	41	राजेश कुमार टेलर	मतदाता सूचि में नाम परिवर्तन करवाने बाबत्	तहसीलदार राशमी द्वारा पंत्राक 10 दिनांक 11.03.2011 को नाम शुद्वि हेतु निर्वाचन रजिस्द्रीकरण पदाधिकारी कपासन को प्रेषित कर दिया गया।
42.	42	रामूदेवी / गोपीजी कुमार	भीलवाड़ा रोड़ पर बंशी दास के मकान के बाहर हैण्डपम्प लगाने बाबत्	सहासक अभियन्ता पी.एच.डी. ने बताया कि हर मौहल्ले में हैण्डपम्प लगाने का विभाग के नियमों में कोई प्रावधान नही है।
44.	44	उदयलाल / रामा बैरवा	नियमानुसार बिल प्रदान नही करने बाबत्	सहायक अभियन्ता अ.वि.विनि.लि. ने बताया कि रिडिंग के अनुसार ही बिल प्रदान किये जाते है।
45 एवं 46	45 एवं 46	अनिल / बंशीलाल गाडरी एवं रमजुद्वीन / भूरे खां	चरागाह भूमि पर नाजायज कब्जा हटाने बाबत्	तहसीलदार राशमी ने अपने पंत्राक 83 दिनांक 15.04.2011 के तहत अवगत करवाया कि मौके पर चरागाह भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। तथा प्रकरण संख्या 46 के क्रम में अवगत

				करवाया गया कि प्रकरण उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है।
47	47	नारायण / बंशीलाल जयसवाल	विंकलाग पेंशन प्रारम्भ करने बाबत्	ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव पंहूना ने बताया कि प्रार्थी 40 प्रतिशत विकलांगता की पात्रता नही रखता है अतः पेंशन प्राप्त करने का हकदार नही है।
48.	48	शम्भुलाल / पन्नालाल जीनगर	मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी करने बाबत्	पटवारी / ग्राम सेवक पदेन सचिव ने बताया कि मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया है।
49.	49.	नारायण / दलीचन्द खटीक	मेरे घर के पास खड़े खम्भों को हटाने बाबत्	सहायक अभियन्ता अ.वि.वि.नि.लि. ने बताया कि उक्त लाईन खेतों में से होकर गुजरती है जब लाईन खिची गई उस वक्त प्रार्थी का मकान नही बना था। प्रार्थी ने बाद में मकान बनाया है। अतः उक्त लाईन को शिफट करने का नियमों में कोई प्रावधान नही है।
51.	51.	बंशीदास / बालूदास	ग्राम पंचायत उंचा में नरेगा के कार्य का भुगतान कराने बाबत्	ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव उंचा ने बताया कि प्रार्थी का नाम मस्टर रोल में नही होने के कारण भुगतान नही किया गया है। शिकायत झूठी एवं आधारहीन है।
52.	52.	पुष्पा काटिया आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता	छत की मरम्मत करवाने बाबत्	सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 27.02.2011 को जिला कलक्टर महोदय को जवाब भिजवा दिया गया।
54.	54.	प्यारचन्द रेगर	खेत में जाने का रास्ता दिलाने बाबत्	तहसीलदार राशमी ने मौके पर जाकर प्रार्थी को बताया कि रेकार्डेड रास्ता नही है पड़ौसियों की खेतों की मेड़ से खेत पर आने जाने हेतु अन्य खातेदारों को इसे नही रोकने हेतु पाबन्द किया गया।
57.	57.	लाडी / निर्भय शंकर वैष्णव	सहायता प्रदान करने के सेबंध में	प्रार्थी बी.पी.एल परिवार की सदस्य नहीं होने के कारण सहायता दर्ज करने की पात्रता नहीं रखती है।